


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर 3710-एक/12

जिला-शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-15	<p>इस प्रकरण में दिनांक 10-7-14 के बाद से आवेदक की ओर से कई बार सूचना देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है ।</p> <p>अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम.क.सिंह) सदस्य</p>	



न्यायालय मानसीधराजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्र.क्रं.

कृष्णाकाश क्र. 191
 18-9-2012
 अ.युक्त न्यायालय
 उज्जैन सभा

चन्दुलालआवेदक,

विरुद्ध

देवनारायणअनावेदक,

माननीय महोदय

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि -

1- यह कि, आवेदक द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय शाजापुर के समक्ष एक निम्नरानी प्र.क्र. 85/11-12 दिनांक 5.6.12 को पेश की गई थी किन्तु वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत सुनने का अधिकार नहीं होने से पुनः वर्तमान समय में लोटा दी गई है। प्राची प्रावधान अनुसार श्रीमान्जी को सुनवाई का अधिकार होने से श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि, दस्तावेजी प्रमाण स्वीकार कर मुल दस्तौवजात स्वीकार कर सुनवाई में लिये जाने की कृपा करें।

दिनांक- 18.9.12 प्राची,

चन्दुलाल पिता सिद्धनाथजी,

निवासी ग्राम टुकराना, जिला शाजापुरआवेदक,

द्वारा अभिप्रायक

212
18/9/2012

श्रीमान्जी से निवेदन
18/9/12

25/10/12